शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
E ISSN 2320 – 0871
17 जनवरी 2021
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव (ललितपुर जनपद के सन्दर्भ में)

वन्दना सिंह (शोधार्थी)
प्रोफे.अर्चना कुशवाह
प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
शासकीय कमलाराजा कन्या स्वशासी स्नात्कोत्तर महाविद्यालय
ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में चलाए जा रहे मनरेगा कार्यक्रम के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में आये परिवर्तनों की तुलना करना है। मनरेगा कार्यक्रम ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की, जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति सुदृढ हो सकी। घरेलू महिलाओं की तुलना में मनरेगा में कार्यरत महिलाओं में स्वावलम्बन अधिक पाया गया। योजना से अर्जित आय का उपयोग महिलाओं द्वारा पुरुषों की अपेक्षा शत-प्रतिशत अपने पारिवारिक स्थिति के उन्नयन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया गया। मनरेगा द्वारा लिंगभिन्नता के आधार पर किये जाने वाले भेद-भाव में कमी आयी है। शोधा आधारित सुझाव इस प्रकार दिये जा सकते हैं कि कार्य के दौरान विशेषकर महिलाओं के कुछ विशिष्ट प्रकार की प्राथमिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो उन्हें नहीं मिल पाती हैं। अतः महिलाओं को इस प्रकार से सहभागिता प्रदान की जाय ताकि उन्हें आवश्यकतानुसार प्राथमिक सुविधायें भी प्राप्त हो सकें। इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं को अभी भी गरिमा, सुरक्षा तथा सम्मान प्रदान करने की भावना में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

भारत की आबादी की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ग्रामीणों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारों द्वारा समय-समय पर अनेक योजनायें संचालित की जाती रही हैं। परिणामस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बीच असन्तुलन कम हुआ है और विकास प्रक्रिया में तेजी आयी है। य भी एक तथ्य है कि ग्रामीण विकास तब तक गति नहीं पकड़ सकता जब तक आधी आबादी अर्थात् महिलाओं को विकास से दूर रखा जाता है। अतः सरकार नेकुछ योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए विशेष रूप से संचालित की हैं। इन योजनाओं में से एक महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) है। यदि विश्व स्तर पर तुलना की जाय तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा अब तक की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है (दृष्टि

आईएएस, 2020)। इसकी सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिये यह योजना प्रभावी सिद्ध हो रही है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि विगत काल में विश्व स्तर पर छाये कृषि संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ने भारत के ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मज़दूरों के लिये सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था (NAREGA, 2005)। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार का परिव्यय 40100 करोड़ रुपये था। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मनरेगा ग्रामीण भारत को रोज़गार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार में अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिन का गारंटीयुक्त रोज़गार दैनिक बेरोज़गारी भत्ता और परिवहन भत्ते का प्रावधान किया गया है (सिंह, 2018)। सूखाग्रस्त और जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत 150 दिनों के रोज़गार का प्रावधान है। यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है (दृष्टि आईएएस, 2020)। यह योजना 2 फरवरी, 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007-08 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और 1 अप्रैल, 2008 तक अंततः भारत के समस्त 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया।

यह अधिनियम राज्य सरकारों को मनरेगा योजनाओं को लागू करने के निर्देश देता है। मनरेगा के तहत केन्द्र सरकार मजदूरी की लागत माल की लागत की 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है। राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक लागत को वहन करती है। चूंकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती है। उन्हें श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारी प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है, जो इस शर्त के अधीन है कि यह पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/4 भाग से कम न हो और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का 1/2 से कम न हो प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार सक्षम और इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना चाहिए। ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम उम्र और पता जमा करते हैं। जांच के बाद पंचायत के बाद पंचायत घरों को पंजीकृत करता है। और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जायेगा। इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है, इसलिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि यह बेहद कल्याणकारी सफल एवं जनव्यापक योजना है, लेकिन इसके संचालन में अभी भी कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। जबकि कुछ स्थानों पर इसमें अनियमितता भी देखने को मिल रही हैं। इस

योजना की मानीटरिंग की भी आवश्यकता है, ताकि यह योजना भ्रष्टाचार मुक्त बनी रह सके (Sukhtankar, 2012)। छत्तीसगढ से होने वाले उत्प्रवास को रोकने में यह योजना असफल हुई है। इसका एक कारण भ्रष्टाचार है और मजदूरी की दर कम होना भी है। (Sukhtankar, 2012)

प्रस्तुत शोध कार्य के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश के जनपद ललितपुर में चलाए जा रहे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में आये परिवर्तनों की तुलना की गयी है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के लिए उत्तरप्रदेश के ललितपुर जनपद को चुना है। सम्बन्धित वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया। जनपद में महिलाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कुल जनसंख्या में 1,046,214 (85.64 प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत 46.78) ग्रामीण तथा 175,378 (14.36 प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत 73.51) शहरी महिलाएँ हैं (तालिका 1)।

तालिका 1 ललितपुर जनपद में महिलाएँ

विवरण	ग्रामीण	शहरी
कुल जनसंख्या	1,046,214	175,378
जनसंख्या प्रतिशत	85.64	14.36
महिला जनसंख्या	496,736	83,845
पुरुष जनसंख्या	549,478	91,533
कुल साक्षर	517,428	123,763
कुल महिला साक्षर	190,036	53,569
कुल पुरुष साक्षर	327,392	70,194
साक्षरता प्रतिशत	60.38	81.18
महिला साक्षरता प्रतिशत	46.78	73.51
पुरुष साक्षरता प्रतिशत	72.64	88.21

स्रोत-भारत सरकार, (2011)

अध्ययन हेतु 25 गांवों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया। अध्ययन की इकाई जनपद में रहने वाली ग्रामीण महिलाएँ थीं। समस्त समग्र को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया : सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग। शोध में दैव निदर्शन पद्धति द्वारा जनपद की ललितपुर तहसील से 30 सामान्य जाति वर्ग की, 38 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 27 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 95 महिलाएँ, महरोनी तहसील से 59 सामान्य जाति वर्ग की, 80 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 48 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 187 महिलाएँ और तालबेहाट तहसील से 75 सामान्य जाति वर्ग की, 103 अन्य पिछड़ा वर्ग की तथा 40 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 218 महिलाएँ थीं। इस प्रकार सम्पूर्ण जनपद से 164 सामान्य जाति वर्ग की, 221 अन्य पिछड़ा

वर्ग की तथा 115 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की कुल 500 महिलाएँ अध्ययन में सम्मिलित रहीं।

तालिका 2 अध्ययन हेतु चयनित गांवों की सूचनाएँ

चयनित गांवों की संख्या	25
कुल जनसंख्या	51166
कुल परिवार	9149
उत्तरदाता अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग	115
उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग	221
उत्तरदाता सामान्य वर्ग	164
कुल उत्तरदाताओं की संख्या	500

प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रेक्षण अनुसूची एवं साक्षात्कार प्रविधि द्वारा किया गया है जबकि द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिलेखों के माध्यम से किया गया है।

शोध परिणाम एवं व्याख्या

उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि

शोधकार्य के क्षेत्र ललितपुर जनपद में उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का आकलन इस प्रकार से किया जा सकता है - आयु 30 वर्ष से कम वर्ग से 8.2, 30-50 वर्ष आयु वर्ग से 36.8 तथा 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से 55.0 प्रतिशत रही। हिन्दू धर्म से 69.2, मुस्लिम धर्म से 22.4 तथा अन्य धर्म वर्ग से 8.4 प्रतिशत रही। गैर स्नातक शैक्षिक स्तर वर्ग से 74.2, स्नातक शैक्षिक स्तर वर्ग से 21.0 तथा स्नातकोत्तर शैक्षिक स्तर वर्ग से 4.8 प्रतिशत रही। छोटे आकार के आवास धारक वर्ग से 25.0, सामान्य आकार के आवास धारक वर्ग से 57.4 तथा बड़े आकार के आवास धारक वर्ग से 17.6 प्रतिशत रही। एकाकी परिवार से 59.6, तथा संयुक्त परिवार वर्ग से 40.4 प्रतिशत रही।

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

जनपद में चयनित उत्तरदाता महिलाओं में से 65.0 प्रतिशत को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना/कार्यक्रम के संचालन का ज्ञान था (तालिका 3)। योजना/कार्यक्रम में लाभार्थी होने योग्य महिलाओं की संख्या 42.4 प्रतिशत थी। योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिए 38.2 प्रतिशत महिलाओं ने प्रयास किये थे, जिनमें से मात्र 33.5 प्रतिशत महिलाएँ ही योजना में सम्मिलित हो सकीं और लाभान्वित महिलाओं की संख्या 16.6 प्रतिशत थी। योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित महिलाओं में से मात्र 18.8 प्रतिशत के लिए समान कार्य दशाएँ थीं तथा 15.2 प्रतिशत के लिए कार्य दशाएँ ससम्मान थी, जबकि 31.8 प्रतिशत महिलाओं को समान मजदूरी का भुगतान मिला। योजना/कार्यक्रम में 6.2 प्रतिशत महिलाओं ने निर्णय-निर्धारण में भूमिका निभाई। बच्चों की शिक्षा पर योजना/कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव 7.2 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया योजना/कार्यक्रम के कारण 21.2 प्रतिशत के सामाजिक दायरा वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव रहा। धन खर्च करने के तौर

तरीकों के निर्धारण में सहभागिता पर सकारात्मक प्रभाव 24.4 प्रतिशत महिलाओं ने अनुभव किया जबकि 13.8 प्रतिशत महिलाओं की परिवार हेतु समय की उपलब्धता पर योजना/कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना/कार्यक्रम के कारण जनपद की 12.6 प्रतिशत महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और इस योजना को 16.6 प्रतिशत महिलाओं ने अच्छी योजना/कार्यक्रम माना। जनपद की महिलाओं ने इस योजना/कार्यक्रम को 5 अंक पैमाने पर 2.5 अंक प्रदान किये गये, जिसका तात्पर्य यह था कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना/कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक सुधार हेतु सामान्य महत्व की योजना थी।

तालिका 3 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

प्रश्न	प्रत्युत्तर	प्रतिशत
क्या आपको पता है कि सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा योजना/कार्यक्रम संचालित है?	हाँ	65.00
	नहीं	35.00
क्या आप मनरेगा योजना/कार्यक्रम की लाभार्थी होने के माप दण्ड में आती हैं?	हाँ	42.4
	नहीं	35.00
क्या आपने मनरेगा योजना/कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होने के लिए प्रयास किये हैं?	हाँ	38.2
	नहीं	61.8
यदि हाँ, तो क्या आप मनरेगा योजना/कार्यक्रम में आसानी से सम्मिलित हो गई ?	हाँ	30.7
	आंशिक रूप से	36.00
	नहीं	33.3
क्या आपको मनरेगा योजना/कार्यक्रम से लाभ मिले है ?	हाँ	16.6
	आंशिक रूप से	18.8
	नहीं	67.6
क्या मनरेगा योजना/कार्यक्रम में समान कार्य दशाएँ हैं ?	हाँ	18.8
	कह नहीं सकते	70.4
	नहीं	10.0
क्या मनरेगा योजना/कार्यक्रम में ससम्मान कार्य दशाएं हैं ?	हाँ	15.2
	कह नहीं सकते	61.6
	नहीं	23.2
क्या मनरेगा योजना/कार्यक्रम में समान मजदूरी का भुगतान है ?	हाँ	31.8
	कह नहीं सकते	62.2
	नहीं	6.00

क्या मनरेगा योजना/कार्यक्रम में आपकी निर्णय-निर्धारण में भूमिका है ?	हाँ	6.2
	कह नहीं सकते	62.0
	नहीं	31.8
क्या मनरेगा योजना/कार्यक्रम का बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव है ?	हाँ	7.2
	कह नहीं सकते	62.2
	नहीं	30.6
क्या मनरेगा योजना/कार्यक्रम का महिलाओं का सामाजिक दायरा वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव है ?	हाँ	21.2
	कह नहीं सकते	62.2
	नहीं	16.6
क्या मनरेगा योजना/कार्यक्रम का धन खर्च करने के तौर तरीकों के निर्धारण में सहभागिता पर सकारात्मक प्रभाव है ?	हाँ	24.4
	कह नहीं सकते	62.2
	नहीं	13.4
क्या मनरेगा योजना/कार्यक्रम क्या परिवार हेतु समय की उपलब्धता पर सकारात्मक प्रभाव है ?	हाँ	13.8
	कह नहीं सकते	62.2
	नहीं	24.0
क्या मनरेगा योजना/कार्यक्रम से आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार आया है ?	हाँ	12.6
	नहीं	87.4
आप मनरेगा योजना/कार्यक्रम का मूल्यांकन कैसे करेगी ?	अच्छी	16.6
	सामान्य	15.8
	बेकार	67.6

उत्तर दाता महिलाओं से प्राप्त उत्तरों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मनरेगा कार्यक्रम ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की है। इससे उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक हुई है। कार्यक्रम से महिलाओं की कार्यरत दशा में सुविधाजनक तथा अनुकूल सामाजिक परिस्थितियाँ प्राप्त होने पर कार्यक्षमता में वृद्दि संभव हो सकी, लेकिन यह सार्वभौमिक सिद्ध नहीं हो सका। घरेलू महिलाओं की तुलना में मनरेगा में कार्यरत महिलाओं में स्वावलम्बन अधिक पाया गया। इस कार्यक्रम के प्रति पुरुषों की अपेक्षा कार्यरत महिलाएँ अपने कार्य में अधिक सजग और समर्पित पायी गईं। इस योजना से महिलाओं में आय प्राप्त होने से न केवल उनके अपितु पारिवारिक व सामाजिक स्वास्थ में सुधार आया। इस प्रकार महिलाएँ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रही हैं।

योजना से अर्जित आय का उपयोग महिलाओं द्वारा पुरुषों की अपेक्षा शत-प्रतिशत अपनी पारिवारिक स्थिति के उन्नयन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया गया। मनरेगा द्वारा लिंग-भिन्नता के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव में कमी आयी है। यह परिवर्तन समय के साथ दिखाई दे रहा था, किन्तु महिलाओं को केन्द्र में रख कर संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कारण इस ओर गतिशीलता में वृद्धि पायी गयी। मनरेगा के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं में एकता एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता

आयी है। उनमें बचत की प्रवृत्ति को बढावा मिला, फलस्वरूप सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। वे स्वच्छता, पौष्टिक आहार तथा परिवार नियोजन के प्रति अधिक जागरूक हो गई हैं। मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के शहर से जुड़ाव हुआ है जिससे महिलाओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिला है।

महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार से वे सम्पत्ति सम्बन्धी अनेक पारिवारिक निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो गयीं हैं। मनरेगा कार्यक्रम द्वारा महिलाओं की समाज में सुरक्षा तथा सम्मान को बढ़ावा मिला है। वे महिलाएँ, जो इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त कर रही थीं, उनमें से अधिकतर के सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर में उन्नति हुई जिसके परिणामस्वरूप उनमें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा का भाव बढा और सम्मान भी प्राप्त

सुझाव

चूंकि प्रस्तुत अध्ययन में ललितपुर जनपद की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य का विस्तार से अध्ययन किया गया है। अतः परिस्थितियों में और बेहतर सुधार प्राप्त करने हेतु कुछ सुझाव भी दिये जा सकते हैं। मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएँ पूर्ण स्वाबलम्बन प्राप्त नहीं कर पायी हैं। महिलाओं के पास परिवार को देने के लिए समय में कमी पायी गयी। अतः इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। मनरेगा में महिलाओं की कार्य दक्षता वृद्धि हेतु प्रयासों की अति आवश्यकता है, ताकि वे कौशलपूर्वक कार्य करते हुए परिवार तथा समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन और अधिक बेहतर तरीके से कर सकेंगी। कार्य के दौरान महिलाओं के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की प्राथमिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो उन्हें नहीं मिल पाती हैं। अतः महिलाओं को इस प्रकार से सहभागिता प्रदान की जाय ताकि उन्हें आवश्यकतानुसार प्राथमिक सुविधाएं भी प्राप्त हो सकें। इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं को अभी भी गरिमा, सुरक्षा तथा सम्मान प्रदान करने की भावना में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता है। मनरेगा के अन्तर्गत प्रदत्त मजदूरी की दर पर्याप्त नहीं है। इसमें बढोत्तरी की जानी चाहिए। इस योजना की मानीटरिंग की भी आवश्यकता है, ताकि यह योजना भ्रष्टाचार मुक्त बनी रह सके। योजना के अभिप्रसार की आवश्यकता दिखाई देती है, क्योंकि अभी भी विशाल पैमाने पर ग्रामीण महिलाओं में इसके प्रति अनभिज्ञता ज्ञापित की गयी है।

संदर्भ ग्रन्थ

- *दृष्टि आईएएस 2020। मनरेगा कार्यक्रम- ग्रामीण प्रगति का वाहक, https://www.drishtiias.com*
- *भारत सरकार, 2011, Lalitpur District: Census 2011-2019 data. https://www.census2011.co.in/census/district/538-lalitpur.html*
- *सिंह के 2018। ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियां एवं प्रबन्ध, सेज पब्लिकेशन्स*
- *सोनेकर, बी.एल. एवं ध्रुव वी. 2018। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (नगरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत केरेगाँव के संदर्भ में)। Int. J. Ad. Social Sciences.; 6, 3, 145-154.*
- *NAREGA, 2005. The Mahatma Gandhi National Rural Rmployment Guarantee Act 2005. https://nrega.nic.in/amendments 2005.*
- *Sukhtankar, S. 2012, What Determines MGNREGA Wages? Some Evidence on Voice and Exit from Orissa. https://casi.sas.upenn.edu/*